

भारत सरकार के अन्तर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. सं.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/
क्र. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 288]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2007—आश्विन 26, शक 1929

सामान्य प्रशासन विभाग
(शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा)
मंत्रालय, डाक कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

अधिसूचना

क्रमांक एक प 19/2004/1-9.—छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्त करने की निम्नलिखित नीति बनाने के अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :- इस नीति का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्त करने की नीति 2007 है.

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

2. "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" की शासकीय सेवा में नियुक्ति की नीति

शासकीय कर्मचारियों में खेलकूद की और तन्नि उत्पन्न करने तथा राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के मामलों में सुविधाएं देने का प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन रहा है. इस संबंध में शासन द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों की शासकीय सेवाओं में सीधे ही नियुक्त किये जाने के संबंध में निम्नानुसार नीति/प्रक्रिया/स्वयंसेवा विधायित करने का निर्णय लिया गया है :-

(1) उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा :- शासन को प्रतिवर्ष उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करना चाहिये.

(2) संबंधित खेल :- (जिनके खिलाड़ी उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जा सकेंगे) अंतर्राष्ट्रीय, अंतरराज्य, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय खेल, विश्वविद्यालयीय खेलों में सम्मिलित खेल विधायें.

(3) उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने के लिये पात्रता एवं शर्तें

छत्तीसगढ़ की सीमा स्थित खेल इकाई की ओर से खेलते हुए ऐसे खिलाड़ी :—

- (अ) जिन्हें भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल विभाग या पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश सरकार खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा सीनियर वर्ग का खेल पुरस्कार यथा राजीव खेल रत्न पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार या विक्रम पुरस्कार से अलंकृत किया गया हो।
- (ब) जिन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सीनियर वर्ग के खेल पुरस्कार यथा गुण्डाधूर पुरस्कार या प्रवीर चंद्र भंडारेल महाराजा या शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार से अलंकृत किया गया है।
- (स) जिन्होंने छत्तीसगढ़ की खेल इकाई की ओर से खेलते हुए सीनियर वर्ग की ओलम्पिक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, कामन वेल्थ, एशियाड, एशियन चैम्पियनशिप में खेलते हुए पदक प्राप्त किया हो।
- (द) जिन्होंने छत्तीसगढ़ की खेल इकाई की ओर से खेलते हुए सीनियर वर्ग के व्यक्तिगत खेल की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक या रजत पदक या कॉप्य पदक प्राप्त किया है।
- (इ) जो डबल्स खिलाड़ी वाले खेलों या ऐसे खेल जिनमें एक से अधिक खिलाड़ियों की टीम होती है के टीम के सदस्य हैं और ऐसे डबल्स या सामूहिक खेलों की टीम को पदक प्राप्त हुआ हो तो, ऐसे पदक प्राप्त खेल के सभी खिलाड़ी पात्र होंगे।

उपरोक्त कण्डिकाओं में से किसी भी एक कण्डिका की पूर्ति करने के साथ-साथ विचाराधीन खिलाड़ी की उम्र उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जाने वाले वर्ष के 31 दिसम्बर की तिथि को शासकीय सेवा प्राप्त करने हेतु निर्धारित आयु सीमा में हो, तथा वह छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी हो।

उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सुदिए गए :—

- (क) उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।
- (ख) ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने ओलम्पिक, एशियाड कामन वेल्थ, एशियन चैम्पियनशिप प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया है, उन्हें राज्य शासन की सेवा में पुलिस विभाग (होमगार्ड विभाग सहित), वन विभाग, जेल विभाग, आबकारी विभाग में द्वितीय श्रेणी के पदों में, शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य योग्यता संबंधी अर्हताओं को पूर्ण करने की स्थिति में सीधे नियुक्ति नीचे (च) की शर्त के अधीन तथा प्रकरणवार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त कर दी जा सकेगी।
- (ग) ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त नहीं किया है, लेकिन जो ऊपर कंडिका 2 (3) में उल्लेखित शेष पात्रता की शर्तों को पूरा करते हुए उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित हुए हैं, उन्हें शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य योग्यता संबंधी अर्हताओं को पूर्ण करने की स्थिति में राज्य शासन की सेवा में तृतीय श्रेणी (लोक सेवा आयोग के माध्यम से जिन पदों पर चयन/नियुक्ति होती है उन पदों को छोड़कर) अथवा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधे नीचे (च) की शर्त के अधीन दी जा सकेगी।
- (घ) उपरोक्त (ख) एवं (ग) के लिये को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, रोजगार कार्यालय से नाम बुलाए बगैर एवं भरती नियम में चयन करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया में छूट देते हुए केवल सीधी भरती के पदों पर सीधी नियुक्ति नीचे (च) की शर्त के अधीन दी जायेगी।
- (ङ) उत्कृष्ट खिलाड़ी को शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु सामान्य अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (च) चयनित उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति रिक्त पदों की उपलब्धता के अनुसार ही दी जायेगी।

उपरोक्त उल्लेखित सुविधाएं/प्रक्रियाएं छत्तीसगढ़ शासन के अधीन निगम, मण्डल, सार्वजनिक उपक्रमों आदि के पदों के संदर्भ में भी लागू होना चाहिये।

उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने की प्रक्रिया :-

उत्कृष्ट खिलाड़ी का चयन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन किया जायेगा :-

1.	माननीय मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
3.	यदि सामान्य प्रशासन विभाग के भारसाधक मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री हो तो मुख्यमंत्री द्वारा नामांकित एक अन्य मंत्री.	सदस्य
4.	माननीय मंत्री, खेल एवं युवा कल्याण विभाग	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग	सदस्य-सचिव
7.	आयुक्त/संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग	प्रकरण प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

खिलाड़ियों की पात्रता की पुष्टि के पश्चात् खिलाड़ियों के खेल का भौतिक परीक्षण किए बिना उपरोक्त समिति द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जायेगा.

उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जाने हेतु खिलाड़ियों के आवेदन पत्र खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आमंत्रित किए जाएंगे एवं आवेदन पत्र तथा प्रमाण-पत्रों का परीक्षण कर उनकी पुष्टि-टीप के साथ समिति के समक्ष विचार हेतु रखे जायेंगे.

इस प्रकार तृतीय श्रेणी के ऐसे पदों में, जिनमें नियुक्तियां लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं की जाती तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में इस राज्य के किसी व्यक्ति को, जिसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा क्रीड़ा नियंत्रण मण्डल द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया गया हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रोजगार कार्यालय से नाम बुलाये बगैर एवं भरती नियम में चयन करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया में छूट देते हुए सीधे नियुक्त किया जा सकेगा. इसके लिए उपरोक्त निर्धारित नीति प्रक्रिया का पालन करना होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. के. राय, उप-सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

दिनांक 16 जनवरी, 2008

क्रमांक एफ 6-10/2004/1-9 : इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18.10.2007 की कंडिका 3(ख) एवं 3(ग) को एतद्वारा पूर्णतः विलोपित कर, उसके स्थान पर निम्नानुसार कंडिका 3(ख) एवं 3(ग) प्रतिस्थापित किया जाता है; अर्थात्

"संशोधन"

3(ख)- ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने ओलम्पिक, एशियाड, कामनवेल्थ, एशियन चैम्पियनशिप प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया है, उन्हें राज्य शासन की सेवा में पुलिस विभाग (होमगार्ड सहित), वन विभाग, जेल विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत आबकारी विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, में द्वितीय श्रेणी के पदों पर, शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य योग्यता संबंधी अर्हताओं को पूर्ण करने की स्थिति में सीधे नियुक्ति नीचे (च) की शर्त के अधीन तथा प्रकरणवार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त कर की जावेगी।

3(ग)- ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त नहीं किया है, लेकिन जो ऊपर कंडिका 2(3) में उल्लेखित शेष पात्रता की शर्तों को पूरा करते हुए उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित हुए हैं, उन्हें शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य योग्यता संबंधी अर्हताओं को पूर्ण करने की स्थिति में राज्य शासन की सेवा में तृतीय श्रेणी के पदों पर (लोक सेवा आयोग के माध्यम से जिन पदों पर चयन/नियुक्ति होती है, तृतीय श्रेणी के उन पदों पर भी) अथवा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधे नीचे (च) की शर्त के अधीन दी जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(व्ही.के. रॉय)

उप सचिव


छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

1/2/1

64

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 6-10/2004/1-9 रायपुर दिनांक 16 जनवरी, 2008
प्रतिलिपि:-

- (1) शासन के समस्त विभाग छत्तीसगढ़
- (2) अध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर छत्तीसगढ़
- (3) समस्त विभागाध्यक्ष
- (4) समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़
- (5) महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर
- (6) सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा छत्तीसगढ़ रायपुर
- (7) मान. मुख्यमंत्री जी /मंत्री/राज्य मंत्री /संसदीय सचिव के निज सचिव/निज सहायक छत्तीसगढ़ रायपुर
- (8) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर
- (9) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर
- (10) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ रायपुर
- (11) महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर
- (12) आयुक्त, जन सम्पर्क विभाग रायपुर
- (13) उप सचिव साप्रवि. स्थापना/अधीक्षण/मुख्यलेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

6

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा)
दाऊ. कल्याण सिंह भवन
मंत्रालय, रायपुर
// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर, 2009


क्रमांक एफ 06-10/2004/1-9 :: राज्य सरकार एतद्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 06-10/2004/1-9, दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 के नियम, 2-3(द) में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात्

संशोधन

उक्त अधिसूचना के नियम-3 (द) में सीनियर वर्ग के पश्चात् तथा खेल की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के पूर्व स्थापित, "व्यक्तिगत" शब्द को विलोपित किया जाये ।

2. यह संशोधन दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 से प्रभावशील माना जाएगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(ए० क० टोप्पो)
अतिरिक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा)
::मंत्रालय::



दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
क्रमांक एफ 5-1/2010/1-9 रायपुर, दिनांक 27 जुलाई, 2010
प्रति,

✓ सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, 2908,
मंत्रालय, रायपुर

विषय:- छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्त करने के नियम,
2010 का हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करने बाबत।

उपर्युक्त विषयक इस विभाग द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में
नियुक्त संबंधी नियम बनाये गये हैं जिसकी हिन्दी प्रति संलग्न प्रेषित है।

2/ उक्त नियम को विधि विभाग से परिमार्जन के लिये अंग्रेजी अनुवाद की
आवश्यकता है। अतः उक्त नियम का अंग्रेजी अनुवाद तीन दिवस में इस विभाग को
भिजवाने का कष्ट करें।

(एन. के. भट्टर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Directorate of Sports & Youth Welfare	
Dir	DD
D.D	27/7/10
AD/AO/SD/YO	27/7/10
Branch	27/7/10
Date	27/7/10

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
::मंत्रालय::
दारु कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई, 2010

क्रमांक: एफ 5-1/2010/1-9 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्वारा छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्त संबंधी निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:-

- (एक) ये नियम "छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्त करने के नियम, 2010" कहलायेंगे।
- (दो) ये नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- (तीन) ये नियम "छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति करने की नीति, 2007 (अधिसूचना 18 अक्टूबर, 2007) से शासित होंगे।

2. परिभाषाएँ:- इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) किसी सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, शासन या ऐसे प्राधिकारी, जिसे उस सेवा या पद पर नियुक्त करने की शक्ति, उस सेवा या पद से संबंधित भरती नियम में प्रदत्त हो अथवा शासन द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सौंपी गई हो या इसके पश्चात् सौंपी जाये।
- (ख) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन।
- (ग) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।
- (घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल।
- (ङ) "विभागीय भरती नियम" से अभिप्रेत है, संबंधित सेवा या पद पर नियुक्ति हेतु प्रचलित सेवा भरती नियम।
- (च) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग।
- (छ) "नीति" से अभिप्रेत है, शासन द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्त करने की नीति, 2007" (अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर, 2007)।

3. सेवा में नियुक्ति:-

(अ) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्राधिकारी

1. जिला स्तर पर विभाग के जिला प्रमुख.

2.....

2. संभाग स्तर पर संभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष.
3. शासन स्तर पर संबंधित विभाग के सचिव.

- (ब) पात्र उत्कृष्ट खिलाड़ी रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, नियुक्ति प्राधिकारी को मय शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति के साथ प्रस्तुत करेंगे तथा उसकी प्रति आयुक्त, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को भी प्रस्तुत करेंगे.
- (स) आवेदित पद रिक्तता की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी सत्यापन उपरांत आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए नियुक्ति आदेश जारी करेंगे.
- (द) विभागाध्यक्ष/संभाग/जिला स्तर पर पात्र उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति आदेश जारी करने की सूचना सामान्य प्रशासन विभाग एवं आयुक्त, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को भी देना अनिवार्य होगा.

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित उत्कृष्ट खिलाड़ी को नियुक्ति देने के पूर्व, आवेदक के उत्कृष्ट खिलाड़ी होने की पुष्टि सामान्य प्रशासन विभाग से कराना होगा.

- (ई) आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) के पद हेतु आवेदक संबंधित विभाग प्रमुख को आवेदन, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति प्रस्तुत करेंगे एवं उसकी प्रति आयुक्त, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को भी प्रस्तुत करेंगे. यदि आवेदक उक्त पद हेतु उपयुक्त पाये जाते हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी आयोग से अनुमति प्राप्त कर नियुक्ति आदेश जारी करेंगे.
- (फ) आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी के पद हेतु आवेदन विभागीय सचिव को दिए जाएंगे एवं सामान्य प्रशासन विभाग एवं खेल विभाग को सूचित किया जावेगा. लोक सेवा आयोग की अनुमति प्राप्त कर प्रकरण विभाग द्वारा मंत्रि-परिषद से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा. मंत्रि-परिषद के अनुमोदन उपरांत ही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा.

4. नियुक्ति के लिए पात्रता :-

उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए पात्रता वही होगी जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में विहित है.

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी हो.
- (ख) विचाराधीन उत्कृष्ट खिलाड़ियों के शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे.
- (ग) उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ एवं अन्य अर्हताएँ वही होगी जो उक्त पद हेतु विभागीय भरती नियमों में विहित है.

5. आरक्षण :-

उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के पदों पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 तथा महिलाओं, निःशक्तजनों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण एवं उसके अधीन जारी नियम/निर्देश लागू होंगे.

6. **परिवीक्षा:-** सेवा में भर्ती किये गये प्रत्येक उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिये परिवीक्षा अवधि वही होगी जो विभागीय भरती नियमों में विहित है.

7. अन्य शर्तें:-

(एक) नियुक्त उत्कृष्ट खिलाड़ी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे.

(दो) उत्कृष्ट खिलाड़ी की एक बार नियुक्ति हो जाने के पश्चात् वे पद परिवर्तन के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं करेंगे. ऐसा पाया जाने पर उसे अपात्र घोषित किया जावेगा.

(तीन) लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिये अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.

(चार) ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी जो पूर्व से भारत सरकार अथवा राज्य शासन के विभागों में तथा निगम/मण्डल/आयोग/उपक्रम में कार्यरत हों, उन्हें नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी.

8. निर्वचन:-

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में, कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन को विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर शासन का निर्णय अंतिम होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए.के. टीप्पो)

अतिरिक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पोस्ट के अन्तर्गत डाक
क नगद भुगतान (बिना डाक
के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
सी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 जनवरी 2012—पौष 13, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
(शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-5/2011/1-9.—राज्य सरकार एतद्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 6-10/2004/1-9, दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 के नियम-3 पात्रता एवं शर्तें, उपनियम (ब) में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

- उक्त अधिसूचना के नियम 3(ब) में "पंकज विक्रम पुरस्कार" शब्दों को विलोपित किया जाता है.
2. यह संशोधन आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.